

द्वारा फ़ैक्स/ईमेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स

पुलिस मुख्यालय(सिग्नेचर भवन)पंचम तल टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2लखनऊ-226010,

फ़ैक्स नम्बर-0522-2724030 फ़ोन-0522-2724027 ईमेल-logistics-polhq.lu@up.gov.in

संख्या:लाजिस्टिक्स/एम0पी0-15/2019(ग्री0स्था0)

दिनांक:फरवरी 02, 2021

सेवामें,

1. पुलिस महानिदेशक, /प्रधानाचार्य
डा0 भीमराव अम्बेडकर, पुलिस अकादमी, मुरादबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक,
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर।
3. पुलिस आयुक्त,
जनपद-लखनऊ।
4. समस्त, जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
5. पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद-कानपुर नगर/प्रयागराज/अयोध्या/गोरखपुर/बरेली/मेरठ
/अलीगढ़/आगरा।

विषय:-

घुड़सवार पुलिस के निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण व्यवस्था-2021 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

कृपया विगत वर्षों की भाँति ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण व्यवस्था-2021 के अन्तर्गत जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों, प्रशासनिक आधार पर संस्तुत प्रकरणों एवं अनुकम्पा के आधार पर निम्न पदों पर कार्यरत कर्मियों यथा:-

- (1) निरीक्षक घुड़सवार पुलिस
- (2) उ0नि0 घुड़सवार पुलिस
- (3) मु0आ0 घुड़सवार पुलिस
- (4) आरक्षी घुड़सवार पुलिस

के स्थानान्तरण विषयक हस्ताक्षरयुक्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में दिनांक 28.02.2021 तक इस मुख्यालय को विशेष वाहक एवं साफ्ट कापी logistics-polhq.lu@up.gov.in/logistocoffice4@gmail.com पर अपने स्पष्ट अभिमत सहित "लाजिस्टिक्स स्थापना बोर्ड" के विचारार्थ उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित कर्मों की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut of Date 30-04-2021 नियत की गयी हैं।

उपरोक्त सूचनाओं को मुख्यालय प्रेषित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर पूर्ण कर ली जाय:-

- (1) उपरोक्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक अपने स्तर पर समयोजन/स्थानान्तरण की कार्यवाही दिनांक 15.02.2021 तक पूर्ण कर लेंगे तथा जोनल पुलिस महानिरीक्षक व मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची मय सेवा विवरण के निर्धारित प्रारूप में जोनल अपर पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध करायेंगे।
- (2) जोनल प्रभारी परिक्षेत्र स्तर पर एकत्रीकरण की कार्यवाही 20.02.2021 तक पूर्ण कर लेंगे।
- (3) लाजिस्टिक्स इकाई से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में जोन के समस्त जनपदों की संकलित/समेकित सूची/विवरण दिनांक 28.02.2021 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय का होगा। लाजिस्टिक्स कार्यालय द्वारा मार्च माह के प्रथम सप्ताह में स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

- (4) स्थानान्तरण से सम्बन्धित संदर्भों का परीक्षण शासनादेश दिनांक 11.07.1986 एवं 07.06.2014 व 24.07.2015 व मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पत्र दिनांक 22.06.2019 में निहित प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये किया जाय।
- (5) स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों को अवश्य सूचीबद्ध कर लिया जाय, जिनका विगत वर्ष में स्थानान्तरण हो चुका है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किये गये है।
- (6) प्रत्येक जनपद/कार्यालय का पदवार नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं अधिकत का विवरण भी संलग्न किया जाये।
- (7) स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों को दिनांक 14.02.2021 तक प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि दिनांक 14.02.2020 के उपरान्त कोई कर्मी कार्यमुक्त किये जाने हेतु शेष नहीं है।

(1) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण—

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों के प्रार्थना-पत्रों में अंकित समस्याओं का परीक्षण जनपद स्तर पर कराया जायेगा, जिनमें अंकित तथ्य सत्य पाये जाने तथा स्थानान्तरण आवश्यक होने पर प्रार्थना-पत्र एवं पूर्ण सेवा विवरण संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप—“ए” में उपरोक्तानुसार अग्रसारित किये जाये।

- यहाँ यह स्पष्ट करना है कि मात्र गृह जनपद से दूरी सामान्यता अनुकम्पा का आधार नहीं होगा।
- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण पुलिस कर्मी का अधिकार और विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करते समय भी शासकीय/विभागीय हित को वरीयता दिया जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर एक ही स्थान पर कर्मी के स्वहित में काफी लम्बी अवधि तक तैनाती नहीं की जायेगी।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रतिस्थानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेंगे।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो तो उसके कारण उपलब्ध अभिलेखीय आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(2) निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण—

जनपद/इकाई में सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु **Cut of Date 30.04.2021** नियत की गयी है। निर्धारित कार्यकाल निम्नवत् है:—

क्र०सं०	पदनाम	निर्धारित कार्यकाल	
		एक जनपद/इकाई में	एक परिक्षेत्र में
1	निरीक्षक घुड़सवार पुलिस	04 वर्ष	—
2	उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस	04 वर्ष	—
3	मु०आ० घुड़सवार पुलिस	10 वर्ष	—
4	आरक्षी घुड़सवार पुलिस	15 वर्ष	—

उपर्युक्तानुसार निर्धारित कार्यकाल की परिधि में आने वाले कर्मियों का विवरण अलग-अलग निर्धारित प्रारूप—बी में उपरोक्तानुसार परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक व जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के माध्यम से अग्रसारित किया जाय।

3. प्रशासनिक एवं जनहित में निम्न कारणों से स्थानान्तरण की संस्तुति की जा सकती है:—

- स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराध में लिप्त होना।
- अपराधियों से साठ-गांठ।
- नियुक्ति स्थल पर सम्पत्ति या अन्य किसी प्रकरण में विवादित होना।
- किसी से अनैतिक सम्बन्ध होना।

- शासकीय/विभागीय हित में अन्य कोई महत्वपूर्ण और स्पष्ट कारण।
- अप्रमाणित आधारों पर प्रशासनिक आधार के स्थानान्तरण की संस्तुति न की जाये।
- संस्तुति के समय जनपदीय प्रभारी यह सुनिश्चित कर लें, कि प्रकरण पर कार्यवाही परिक्षेत्रीय स्तर, जोनल स्तर अथवा मुख्यालय स्तर से वांछनीय है।
- पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा परिक्षेत्र एवं मुख्यालय/इकाईयों में सक्षम स्तर पर प्रथमतः ऐसे स्थानान्तरण के बारे में विचार किया जायें। परिक्षेत्र स्तर पर कार्यवाही प्रथमतः ऐसे स्थान के बारे में विचार किया जाये परिक्षेत्र स्तर पर कार्यवाही सम्भव न होने की स्थिति में प्रशासनिक आधार के स्थानान्तरण की सूची जोनल पुलिस महानिरीक्षक को उपलब्ध कराया जाय। तथा उसका समायोजन जोनल स्तर से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय। उपलब्ध कराये जाने वाले विवरण में स्थानान्तरण के विशिष्ट कारणों का उल्लेख अवश्य हो, ऐसे कर्मियों जिनके नाम इस सूची से इतर अन्य स्थानों की सूची में भी आते हैं तो उनके नाम के सम्मुख यह अवश्य अंकित किया जाय कि किस-किस सूची में उनके नाम अंकित हैं। कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता आदि के आधार पर स्थानान्तरण की संस्तुति करते समय यह भी अवश्य उल्लेख किया जाय कि विगत समय में सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है।
- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित कर्मियों को नव नियुक्ति स्थल पर कम से कम दो वर्ष रहना आवश्यक होगा, किन्तु दो वर्ष बाद तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना सम्बन्धित कर्मियों का अधिकार नहीं होगा। प्रकरण की समीक्षा के बाद ही उपयुक्त निर्णय लिया जाय, किन्तु सम्बन्धित कर्मियों पुनः स्थानान्तरित होकर वह अपने पूर्व की नियुक्ति जनपद/इकाई को वापस नहीं जायेगा।

सामान्य निर्देश:-

1. इस पत्र के साथ पांच प्रारूप संलग्न हैं:- अनुपम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों के लिये प्रारूप "ए", निर्धारित समयावधि के लिये-प्रारूप बी, प्रशासनिक आधार के लिये प्रारूप-सी, स्थानान्तरणधीन कर्मियों का विवरण प्रारूप-डी एवं पदवार विवरण प्रारूप-ई।
2. अधिकारी/कर्मचारी के प्रार्थना पत्र को कर्मांकित किया जाय तथा क्रमवार सम्बन्धित प्रारूप में टंकित किया जाय।
3. प्रत्येक जनपद का पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता रिक्ति का विवरण संलग्न प्रारूप-ई में उपलब्ध कराया जायेगा।
4. निर्धारित अवधि की गणना **Cut of Date 30.04.2021** के आधार पर की जायेगी।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अशा0 पत्र संख्या:8/2008 दिनांक 29.01.2008 के अनुसार सभी कर्मियों का पर्सनल नम्बर(पीएनओ) अंकित किया जायेगा। पर्सनल नम्बर के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
6. प्रायः यह देखने में आता है, कि पुलिस कर्मियों प्रार्थना पत्र लेकर सीधे इस कार्यालय में उपस्थित होते हैं इससे कार्यालय स्तर पर राजकीय कार्य बाधित होता है अतः अपने जनपद में इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं जिससे सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना आवेदन समय से प्रस्तुत कर सकें तथा कोई भी कर्मियों स्थानान्तरण के लिए सीधे लाजिस्टिक्स कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ में पेश नहीं होगा।
7. अनुपम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों में से यदि कोई कर्मियों पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण पर आया हो तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

8. सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची/संस्तुति भेजी जाय उनके पीएनओ आधारित डाटावेश आन लाइन में स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियां अद्यावधिक पूर्ण कर लिये जाये, यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मि का सेवा विवरण नामिनल रोल डाटाबेस में अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी की होगी।
9. स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। ऐसा करते हुये भी पुलिस कर्मि की वास्तिक समस्या के समाधान हेतु यथा सम्भव सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय, ताकि वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
10. ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी सूचनायें **Microsoft Excel Sheet Kurti Dev Font-10** में तैयार कर प्रेषित किये जाये जिसमें यह ध्यान रखा जाय कि प्रत्येक कर्मि का विवरण एक सेल/रो में ही भरा जाय कोई सेल मर्ज कदापि न किया जाय।
11. सभी प्रिन्ट आउट के साथ सीडी0 तथा ईमेल [logistics-polhq.lu@up.gov.in/](mailto:logistics-polhq.lu@up.gov.in) logistocoffice4@gmail.com में भी अवश्य प्रेषित की जाय।

संलग्नक:प्रारूप

(एस0के0शुक्ला)

पुलिस अधीक्षक, लाजिस्टिक्स
नि0-अपर पुलिस महानिदेशक लाजिस्टिक्स
उत्तर प्रदेश लखनऊ

प्रारूप "ए"																					
अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों का विवरण																					
क्र०सं०	पदनाम	बैज नं०	पीएनओ नं०	कर्म का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण				वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले जनपद/इकाई का नाम			दो वर्ष पूर्व प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित हुआ हो तो उसका विवरण	यदि कर्म स्थानान्तरणधीन है तो उसका विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	जनपद/इकाई का नाम	कब से	कब तक	जनपद	16	17	18	19	20	21	

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्म की सूचना एक ही सेल में फ्रीड की जाय व समस्त तिथियाँ DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

प्रारूप "बी"																	
निर्धारित अवधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का विवरण																	
क्र०सं०	पदनाम	बैंज नं०	पीएनओ० नं०	कर्म का नाम	पिता का नाम	जाति	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण	वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्म द्वारा आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसमें वर्णित विकल्प	यदि कर्म स्थानान्तरणाधीन है तो उसका विवरण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्म की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

प्रारूप "सी"																				
प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों का विवरण																				
क्र०सं	पदनाम	बैज नं०	पीएनओ नं०	कर्म का नाम	पित का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति का विवरण	वर्तमान पद	वर्तमान पद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्म का नाम किसी अन्य सूची में सम्मिलित हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख	प्रशासनिक स्थानान्तरण हेतु स्पष्ट कारण/संस्तुति अंकित किया जाए	यदि कर्म स्थानान्तरणाधीन है तो उसका विवरण	अभ्युक्ति त
0	म	ज नं०	0 नं०	का नाम	का नाम		ति	ति			जनपद/इकाई का नाम	कब तक	वर्तमान नियुक्ति का विवरण	वर्तमान पद	वर्तमान पद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्म का नाम किसी अन्य सूची में सम्मिलित हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त लिथियों DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

प्रारूप “डी”

स्थानान्तरणाधीन पुलिस कर्मियों का विवरण, जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया।											
क्र०सं०	पदनाम	बैज नं०	पीएनओ नं०	कर्म का नाम	पिता का नाम	नियुक्त का नाम	आदेश संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा स्थानान्तरण किया गया है।	कहाँ से	कहाँ को	कार्यमुक्त न किये जाने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

प्रारूप "ई"										
स्वीकृत, नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं अधिकता का विवरण										
क्र०सं०	जनपद का नाम	पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	अधिकता	अनुकम्पा के आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	निर्धारित अवधि के आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	प्रशासनिक आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
 व मुहर